

कार्यालय: वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी
पत्रांक— 1349 / 33-1 / दिनांक, नवम्बर 10, 2022।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

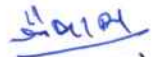
विषय:— जनपद झांसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम गुलारा, तिलैथा, बचावली एवं बुढपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 6.2793 हे० एवं आरक्षित वन भूमि 0.408 हे० कुल 6.6873 हे० वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन का गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु।
प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Water/150514/2021।

संदर्भ— 1. भारत सरकार का पत्रांक— 8B/UP/08/168/2022/FC/301, दिनांक 29.07.2022।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक—407/11- सी, दिनांक 29.07.2022 एवं 706/11- सी, दिनांक 31.08.2022।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक— 1825/15-1, दिनांक— 10.11.2022।

महोदय,

भारत सरकार के उपरेक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 10.11.2022 द्वारा, लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर अभिलेख एवं विस्तृत आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की है। जिसका इस कार्यालय द्वारा परीक्षणोपरान्त सम्बन्धित अभिलेख एवं आख्या तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित है।
संलग्नक— संशोधित अभिलेख तीन प्रतियों में।

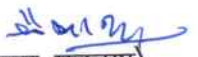
भवदीय


(कैलाश प्रकाश)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या— 1349 / समदिनांक।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(कैलाश प्रकाश)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी